अति आवश्यक

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462021

ई–मेल sscholarship.dpi@gmail.com

क्रमांक / समग्र / आह.वि. / 02 / 2018 / 474

भोपाल दिनांक 29/12/18

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर म.प्र.
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.
3. समस्त अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) म.प्र.
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.
9. समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.
10. समस्त जिला समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र म.प्र.
11. समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी म.प्र.

विषयः– समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति भुगतान विषयक।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क्रमांक / समग्र / आह.वि. / 02 / 2018 / 468 दिनांक 17 / 12 / 18

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत संचालनालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। जिसके द्वारा समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति वितरण हेतु निर्देश प्रेषित किए गए थे एवं लंबित छात्रवृत्ति का शतप्रतिशत भुगतान दिनांक 20 दिसंबर 2018 के पूर्व सुनिश्चित किया जाकर वर्ष 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति भुगतान की योजनावार जानकारी संलग्न प्रपत्र में प्रमाणीकरण के साथ दिनांक 24 दिसंबर 2018 तक अनिवार्यतः गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट किया जाना एवं हस्ताक्षरित प्रति संचालनालय को प्रेषित किए जाने हेतु लिखा गया था।

किन्तु जिलों द्वारा की जा रही पृच्छा से प्रतीत हो रहा है कि अद्यतन भी वर्ष 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति वितरण का कार्य पूर्ण नही किया गया है। अतः 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति के देयक तत्काल कोषालय मे प्रस्तुत किया जाकर छात्रवृत्ति का शतप्रतिशत भुगतान दिनांक 30 दिसंबर 2018 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करे। वर्ष 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति भुगतान की योजनावार जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणीकरण के साथ दिनांक 5 जनवरी 2019 तक अनिवार्यतः गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट किया जाना एवं हस्ताक्षरित प्रति संचालनालय के ई–मेल sscholarship.dpi@gmail.com पते पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त व्यवस्था वर्ष 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु रहेगी। नवीन शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

क्रमांक / समग्र / आह.वि / 02 / 2018 / 475

भोपाल, दिनांक 29/12/18

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव आदिमजाति कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण विभाग / आदिमजाति कल्याण विभाग की ओर भेजकर उक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालय को निर्देश प्रेषित किए जाने का अनुरोध है।
5. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल ।
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी विध्याचंल भवन भोपाल।
7. श्री सुनील जैन, तकनीकी निदेशक एन.आई.सी विध्याचंल भवन भोपाल।

आयुक्त,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

Lambit 17-18